



प्रेस नोट

दिनांक 18.11.2025

थाना कुरारा पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध चाले जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुरारा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम सिकरोढी, थाना कुरारा, जनपद हमीरपुर से बलराम पुत्र श्रीलाल को अवैध तमंचा व कारतूस से साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 266/2025 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय भेजा गया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त

बलराम पुत्र श्रीलाल (उम्र करीब 22 वर्ष) निवासी ग्राम सिकरोढी, थाना कुरारा, जनपद हमीरपुर।

बरामदगी का विवरण-

एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 अजय वर्मा
- 2.उ0नि0 अशफीलाल
- 3.का0 जसपाल सिंह

